यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0आई0यू0, पी0एम0जी0 एस0वाई0, कोटद्वार के माह 07/2015 से 11/2016 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री भानुप्रताप सिंह, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 27.12.2016 से 06.01.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 24.07.2015 से 01.08.2015 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 08/2014 से 06/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 11/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अनुरुप 250 से अधिक असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुरुप प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं तथा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद पौडी गढवाल के चार विकास विकास खण्डों क्रमशः द्वारीखाल, यमकेश्वर, रिखणीखाल एवं दुगड्डा हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014–15	0.70	–	2598.82	1948.84	216.93	210.08	–	649.98	–	6.85
2015–16	0.05	–	2795.63	2464.56	227.40	221.12	–	331.07	–	6.28
2016–17	5.68	–	1341.80	841.81	265.53	178.47	–	499.99	–	87.06

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवषेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014—15	पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना	0.70	2598.82	1948.84	—	649.98
2015—16		0.05	2795.63	2464.56	—	331.07
2016—17		5.68	1341.80	841.81	—	499.99

नोटः— प्रारम्भिक अवशेष अनुरक्षण मद से सम्बन्धित है जो समर्पण नहीं होती हैं अन्य मदों की अवशेष राशि समर्पण की गई है।

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515—102—00—00—05 में प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

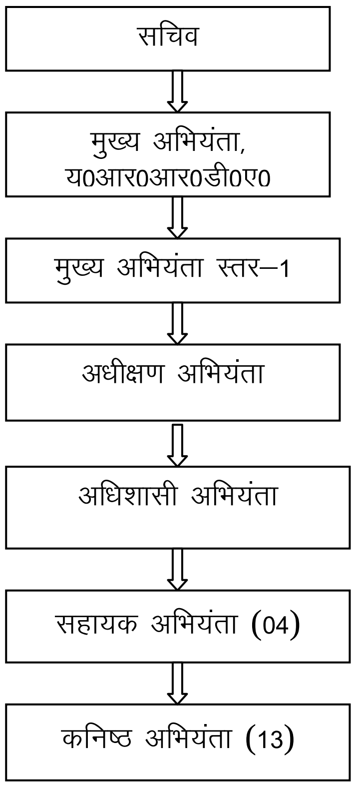

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक—पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0आई0यू0, पी0एम0जी0 एस0वाई0, कोटद्वार की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह नवम्बर 2015 एवं मार्च 2016 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 11 निर्माण कार्यों (पूर्ण—08 एवं अपूर्ण—03) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन माह 11/2016 तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनॉक 19.03.2016 तक का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः सितम्बर 2016 तक की गई।

5. फार्म 51 माह 11/2016 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः–

भाग प्रथम : शून्य

भाग द्वितीय : रु0 5,12,711.00

6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 10/2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	–	शून्य
(ख) सामग्री क्रय	–	शून्य
(ग) नकद परिशोधन	–	शून्य
(घ) निक्षेप	–	3,94,22,409
(ङ) भण्डार	–	शून्य

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1: प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व अनुबन्ध गठित किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 97.45 लाख का अधिक भुगतान।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत स्टेज–।। के चार मोटर मार्गो क्रमशः विरमाली से सुराडी, जाखणीखाल से अमोला, कण्डलसेरा से क्वीराली तल्ली एवं रिंगालपानी से गूम लम्बाई 57.04 किमी0 के निर्माण हेतु फेस–VIII एवं X में रु0 2331.66 लाख[1] (निर्माण : रु0 2053. 76 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 277.90 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (10.09. 2010 एवं 08.02.2013)। जिसके सापेक्ष मुख्य अभियंता स्तर–2 द्वारा उक्त मोटर मार्गों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु0 2259.66 लाख[2] (निर्माण : रु0 1983.78 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 275.88 लाख) की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई (10.06.2011 एवं 10.05.2013)। चारों मोटर मार्गो का विस्तृत विवरण **संलग्नक–क** में दिया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार के उक्त चार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की विस्तृत लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि मोटर मार्गों में निविदाऐं प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही आमंत्रित एवं खोली गई थी। यहॉ तक कि मोटर मार्गों में प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही निविदाओं को स्वीकार कर ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध भी गठित कर लिए गये थे, जबकि पी0एम0जी0एस0 वाई0 दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 11.1 के अनुसार मार्ग के प्रस्ताव की स्वीकृति एवं प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात ही निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी। जिसका परिणाम यह हुआ कि प्राविधिक स्वीकृति में जो दरें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एवं स्वीकृत की गई थी उन दरों से अधिक दरों पर ठेकेदार को भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई मदों का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि रुपये में)

क्र0	मद का नाम	निविदा की दर	अनुबन्धित दर (Above/ Below) सहित)	प्राविधिक स्वीकृति की दर	प्राविधिक स्वीकृति (Above/ Below) सहित)	दर में अन्तर (4-6)	सम्पादित मात्रा	अधिक भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**विरमोली से सुराडी मोटर मार्ग (फेज–VIII) (10% below) NIT: 1.10.2010 & TS : 10.06.2011**							
1.	Excavation for structures	104.00	93.60	103.50	93.15	0.45	1615.27	726.87
2.	RR stone masonary dry	652.00	586.80	634.40	570.96	15.84	3081.20	48806.21
3.	CC of of dry catch pit	10350.00	9315.00	10344.70	9310.23	4.77	44.00	209.88
4.	CC of Coolie walling	335.00	315.00	333.70	300.33	14.67	1874.92	27505.08
5.	GSB	755.00	679.50	257.00	231.30	448.20	6648.43	2979826.33
6.	Tack coat	12.00	10.80	10.10	9.09	1.71	56328.00	96320.88
7.	CC of parapet	1730.00	1557.00	1688.00	1519.20	37.80	638.00	24116.40

---

[1] विरमाली से सुराडी : रु0 633.21 लाख, जाखणीखाल से अमोला : रु0 512.16 लाख, कण्डलसेरा से क्वीराली तल्ली : रु0 638.39 लाख एवं रिंगालपानी से गूम : रु0 547.90 लाख।

[2] विरमाली से सुराडी : रु0 597.98 लाख, जाखणीखाल से अमोला : रु0 475.39 लाख, कण्डलसेरा से क्वीराली तल्ली : रु0 638.39 लाख एवं रिंगालपानी से गूम : रु0 547.90 लाख।

	Total:							**3177511.65**
2.	**कण्डलसेरा से क्वारली तल्ली मोटर मार्ग (फेज–X) (9.4% below) NIT: 30.01.2010 & TS : 10.05.2013**							
1.	GSB	1350.00		1203.00	1316.08	33.92	12946.41	439142.23
2.	Tack coat	15.00		11.10	12.14	2.86	43155.40	123424.44
3.	Premix carpet	200.00		141.70	155.02	44.98	43155.40	1941129.89
	Total:							**2503696.56**
3.	**रिंगालपानी से गूम मोटर मार्ग (फेज–X) NIT: 16.01.2013 & TS : 10.05.2013**							
1.	Excavation for structures	166.10		124.20		41.90	2637.59	110515.02
2.	RR stone masonry laid	2043.00		1790.40		252.60	1244.24	314295.02
3.	RR stone masonry laid dry	850.00		728.10		121.90	2721.06	331697.21
4.	CC of scupper with catch pit	12000.00		9812.00		2188.00	108.85	238163.80
5.	Causeway	166.10		124.20		41.90	164.41	6888.78
6.	PCC for Causeway	3900.00		3889.50		10.50	58.25	611.63
7.	MS bar	6500.00		5470.69		1029.31	9.06	9325.55
8.	Kharnja RR dry for Causeway	850.00		728.10		121.90	61.12	7450.53
9.	Primer coat	41.00		37.10		3.90	36662.51	142983.79
10.	Tack coat	12.75		11.00		1.75	36662.51	64159.39
11.	Premix carpet	190.00		135.10		54.90	36662.51	2012771.80
12	Seal coat	75.00		65.70		9.30	36662.51	340961.34
	Total:							**3579823.86**
4.	**जाखणीखाल से अमोला मोटर मार्ग (फेज–VIII) NIT: 01.10.2010 & TS : 10.06.2011**							
1.	Primer coat	45.00		27.60		17.40	57653.26	484287.38
	Total :							**484287.38**
	Grand Total:							**9745319.45**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में मोटर मार्गों के निर्माण हेतु समय–सीमा निर्धारित होती है। निविदा प्रक्रिया में लगने वाले समय से बचने हेतु निविदाऐं मुख्य अभियंता स्तर से आमंत्रित की गई, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो सके। अधिक भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि कतिपय मदों की दरें प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित आगणन से अधिक थी, जो तात्कालिक बाजार दरों/दर–सूची के अनुरुप कार्यहित में स्वीकृत की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के दिशा–निर्देशों के पैरा 11.1 के अनुसार परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति और उनकी प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद ही निविदाऐं आमंत्रित की जानी चाहिए थी एवं प्राविधिक स्वीकृति में निर्धारित दरों पर ही भुगतान किया जाना चाहिए था। इसप्रकार, प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निविदाओं के आमंत्रित करने एवं अनुबन्ध गठित किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 97.45 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

अतः प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व अनुबन्ध गठित किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 97.45 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–2: निर्धारित दर–सूची के विपरीत उच्च दरों का उपयोग किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदार को रु0 104.96 लाख का अदेय लाभ।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के दिशा–निर्देशिका के पैरा 8.9 एवं 8.10 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सडकों के विस्तृत आगणन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सडकों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित दर–सूची पर आधारित होना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फेस–VIII एवं X में विरमोली से सुराडी एवं रिंगालपानी से गूम मोटर मार्गों के निर्माण हेतु रु0 1181.11 लाख[3] की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (10.09.2010 एवं 08.02.2013)। जिसके सापेक्ष मुख्य अभियंता स्तर–2 द्वारा रु0 1145.88 लाख[4] की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (10.06.2011 एवं 10.05.2013)। विरमोली से सुराडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु रु0 476.19 लाख (निर्माण : रु0 458.64 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 17.55 लाख) का अनुबन्ध सं0 24/एस0ई0–पी0एम0जी0एस0 वाई0/2010–11 दिनॉक 05.02.2011 एवं रिंगालपानी से गूम मोटर के निर्माण हेतु रु0 500.74 लाख (निर्माण : रु0 480.43 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 20.31 लाख) का अनुबन्ध सं0 12/एस0ई0–पी0एम0जी0एस0वाई0/2013–14 दिनॉक 28.05.2013 गठित किए गये। दोनों मोटर मार्गों के निर्माण कार्य वास्तविक रुप से 15.02.2015 एवं 31.03.2016 में पूर्ण किए गये।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0 वि0, पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0 वाई0, कोटद्वार के लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि मोटर मार्गों के स्वीकृत आगणन, शिड्यूल "ब", अनुबन्धित मदों एवं देयकों के अनुसार मार्ग की आधार सतह का निर्माण मोर्ड (MORD) आई0आर0सी0 के क्लॉज 401.40 (तालिका 400.13) के अनुसार स्थानीय जी0एस0बी0 (Granular Sub-base sourse with local material) सामग्री के साथ किया गया था, परन्तु तकनीकी स्वीकृति हेतु तैयार किए गये विस्तृत आगणन, अनुबन्ध एवं भुगतान में जी0एस0बी0 के साथ आधार सतह के कार्य मद में जो दर ली गई है वह स्थानीय जी0एस0बी0 हेतु निर्धारित दर से उच्च दर थी। खण्ड द्वारा विस्तृत आगणन एवं अनुबन्ध में कार्य मद जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (GSB sourse with local material) ली गई जिसकी दरें दर–सूची में रु0 370.30 प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित थी, परन्तु जो दरें विस्तृत आगणन एवं अनुबन्ध में ली गई थी वह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री (GSB by providing well graded material) की थी जिसकी दरें क्रमशः रु0 1202.00 एवं रु0 857.00 प्रति क्यूबिक मीटर ली गई। अवगत कराना है कि अन्तिम देयकों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा उक्त मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (GSB sourse with local material) ही बिछाई गयी। जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

---

[3] विरमोली से सुराडी : रु0 633.21 लाख (नि0 : रु0 563.02 लाख एवं अनु0 : रु0 70.19 लाख) एवं रिंगालपानी से गूम : रु0 547.90 लाख (निर्माण : रु0 477.44 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 70.46 लाख)

[4] विरमोली से सुराडी : रु0 597.98 लाख (नि0 : रु0 528.57 लाख एवं अनु0 : रु0 69.41 लाख) एवं रिंगालपानी से गूम : रु0 547.90 लाख (निर्माण : रु0 477.44 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 70.46 लाख)

कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार		एस0ओ0आर के अनुसार		अनुबन्धित की दर	अनुबन्ध के अनुसार आधिक्य	सम्पादित मात्रा (cum)	अधिक भुगतान
	कार्य मद	दर	कार्य मद	दर				
रिंगालपानी से गूम	GSB sourse with local material	1202.00	GSB sourse with local material	370.30	1150.00	779.70	10825.08	8440314.88
विरमोली से सुराडी	GSB sourse with local material	857.00	GSB sourse with local material	370.30	755.00(-) (10% below) = 679.50	309.20	6648.43	2055694.56
योगः—								**10496009.44**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण की जी0एस0बी0 उपलब्ध न होने के कारण तथा एस0ओ0आर0 की दरें औचित्यपूर्ण न होने के कारण बाजार भाव पर दरों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत आगणन, अनुबन्ध एवं अन्तिम देयक में जी0एस0बी0 के साथ आधार सतह की कार्य मद स्थानीय जी0एस0बी0 ही ली गई थी जबकि दरें उच्च क्वालिटी की ली गई। इसप्रकार, जी0एस0बी0 कार्य मद हेतु निर्धारित दर के विपरीत उच्च दर से भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप न केवल योजना पर रु0 104.96 लाख का अतिरिक्त व्यय भार पडा, अपितु ठेकेदार को भी अदेय लाभ पहुँचाया गया।

अतः निर्धारित दर—सूची के विपरीत उच्च दरों का उपयोग किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदार को रु0 104.96 लाख के अदेय लाभ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: लक्षित बसावट तक कार्य न किए जाने के परिणामस्वरुप मोटर मार्ग पर किया गया रु0 827.96 लाख अलाभकारी व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निर्देशिका 6.12 के अनुसार राज्य सरकार/जिला पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रस्तावित सड़क कार्य शुरु करने के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करे। प्रत्येक सड़क कार्य हेतु प्रस्ताव के साथ भूमि उपलब्धता का एक प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए। यहाँ तक कि वन अधिनियम 1980 के धारा 4.8 प्रतिबन्धित करती है कि यदि किसी परियोजना/कार्य में वनभूमि के साथ–साथ गैर–वनभूमि पडती हो तो भारत सरकार से वनभूमि उपयोग की स्वीकृत प्राप्त किए बिना गैर–वनभूमि पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद कोटद्वार में फेस–X (पैकेज संख्या यू0टी0–08–23) में नौगांव से भुकण्डी मोटर मार्ग स्टेज–II के निर्माण हेतु रु0 1001.08 लाख (निर्माण : रु0 911.69 लाख एवं 5 वर्षीय अनुरक्षण : रु0 89.39 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 21.10 किमी0 लम्बाई हेतु प्रदान की गयी (फरवरी 2013)। मुख्य अभियंता, स्तर–2 द्वारा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण राशि की प्राविधिक स्वीकृति जून 2013 में प्रदान की गयी। स्वीकृति के अनुसार नौगांव से भुकण्डी मोटर मार्ग से योजना की दिशा–निर्देशों के अनुरुप लक्षित बसावट भुकण्डी (जनसंख्या 522) को सड़क मार्ग से बारामासी सडक सुविधा उपलब्ध कराया जाना था। उक्त मोटर मार्ग हेतु निविदा 30.01.2013 में आमंत्रित की गयी जिसमें न्यूनतम निविदा के आधार पर ठेकेदार श्री के0के0 कस्ट्रक्शन, रुडकी के साथ रु0 793.23 लाख (निर्माण : रु0 759.30 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 33.93 लाख) हेतु अनुबन्ध संख्या 37/एस0ई0–पी0एम0जी0एस0वाई0/2013–14 दिनॉक 14.07.2013 गठित किया गया।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0 वि0, पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0 वाई0, कोटद्वार के नौगांव से भुकण्डी मोटर मार्ग से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग में स्टेज–1 (फॉरमेशन कटिंग, ढाल स्थिरीकरण, बचाव कार्य, निकासी कार्य) का निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत किमी0 15 तक फेज–VII के अन्तर्गत किया गया था, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 19.05.2009 में प्रदान की गई थी एवं निर्माण कार्य पर रु0 271.00 लाख व्यय के साथ कार्य 22.12.2012 में पूर्ण भी किया जा चुका था। लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि इसी स्टेज–I के अन्तर्गत निर्मित मोटर मार्ग के स्टेज–II (डब्ल्यूबीएम सतह एवं बिटुमिन की सतह बिछाने का कार्य) के निर्माण कार्य हेतु 21.10 किमी0 तक की स्वीकृति भारत सरकार से इस आधार पर ली गई थी कि स्टेज–I के द्वारा निर्मित किमी0 15 से लक्षित बसावट भुकण्डी का संयोजन नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें मिसिंग लिंक है जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 4.525 किमी0 हेतु दिनॉक 22.12.2011 में रु0 107.72 लाख की प्रदान कर दी गई है। खण्ड द्वारा स्टेज–II के प्रस्ताव में मिसिंग लिंक को मिलाकर आगणन भारत सरकार को 21.10 किमी0 का प्रेषित किया गया एवं अवगत कराया

कि मिसिंग लिंक के भाग में वन भूमि पडती है जिसकी स्वीकृति वन विभाग से प्राप्त की जानी है। उक्त भाग की कटिंग भी स्टेज–II के कार्यों के साथ ही की जा सकती है। इसी तारतम्य में भारत सरकार द्वारा फेस–X में नौगांव से भुकण्डी मोटर मार्ग की स्टेज–II के निर्माण हेतु रु0 1001.08 लाख (निर्माण : रु0 911.69 लाख एवं 5 वर्षीय अनुरक्षण : रु0 89.39 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिनॉक 08.02.2013 के माध्यम से 21.10 किमी0 लम्बाई में प्रदान की गयी। इसप्रकार विदित है कि 15 किमी0 के पश्चात् 6.10 किमी0 में वनभूमि पडती है, जिसके लिए खण्ड द्वारा 4.86 है0 वनभूमि हस्तानान्तरण का प्रस्ताव वन विभाग को 30 नवम्बर 2014 में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया, जिसे भारत सरकार द्वारा आपत्तियों के साथ वापस कर दिया गया। वर्तमान में लेखापरीक्षा अवधि तक इस प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई है। आगे, जॉच में पाया गया कि किमी0 1.00 से किमी0 15.00 तक पूर्व निर्मित मार्ग का स्टेज–2 का कार्य रु0 556.96 लाख के व्यय के साथ दिनॉक मई 2016 में पूर्ण हो चुका था एवं शेष 6.10 किमी0 लम्बाई में वन भूमि हस्तानान्तरण की कार्रवाई अपेक्षित है। वन भूमि प्रकरण में समय लगने के कारण मुख्य अभियंता द्वारा 15.00 किमी0 तक ही अनुबन्ध को अन्तिमीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई (17.10.2016)। अतः 15.00 किमी0 से 21.10 किमी0 के भाग हेतु न तो वनभूमि की स्वीकृति लेखापरीक्षा तिथि तक प्राप्त हुई थी एवं न ही उक्त भाग में स्टेज–I के अन्तर्गत फॉरमेशन कटिंग, ढाल स्थिरीकरण, बचाव कार्य, निकासी कार्य किए गये हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि किमी0 15.00 के पश्चात् मिसिंग लिंक की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी जिसके कारण स्टेज–2 हेतु 21.10 किमी0 की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई। स्टेज–1 के कार्य न होने के सम्बन्ध में बताया कि वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया गया। लक्षित बसावट के संयोजन हेतु प्रयास किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वन अधिनियम 1980 की धारा 4.8 के अनुसार भारत सरकार से वनभूमि उपयोग की स्वीकृत प्राप्त किए बिना गैर–वनभूमि पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। इसप्रकार, बिना स्टेज–I के कार्य सम्पादित हुए स्टेज–II की स्वीकृति प्राप्त किया जाना तथा वनभूमि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण स्टेज–II का कार्य 15 किमी0 तक में ही अन्तिमीकरण किया जाना न केवल भारत सरकार स्वीकृति के विपरीत है, अपितु लक्षित बसावट भुकण्डी का संयोजन भी न हो पाने के कारण दोनों स्टेजों पर किया गया व्यय रु0 827.96 लाख भी अलाभकारी सिद्ध हुआ।

अतः लक्षित बसावट तक कार्य न किए जाने के परिणामस्वरुप मोटर मार्ग पर किया गया रु0 827.96 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2- रायल्टी की वसूली न किए जाने के कारण रु0 21.77 लाख की राजस्व हानि।

शासन द्वारा रायल्टी हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 में राज्य के परिप्रेक्ष्य में समय–समय पर संशोधन किए गये। उक्त संशोधनों के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर एवं इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिए दिनॉक 07.08.2015 से रु0 90.00 प्रति घनमी0 के स्थान पर रु0 200.00 प्रति घनमी0, जिस पर हाई कोर्ट ने दिनांक 10.12.2015 रोक लगाई गई एवं पुरानी दरों पर ही रायल्टी वसूलने हेतु आदेशित किया गया। शासन द्वारा **महामान्य** हाई कोर्ट के आदेश दिनॉक 10.12.2015 के पश्चात् दिनॉक 26.02.2016 से 18.05.2016 तक रु0 200.00 प्रति घनमी0 के स्थान पर रु0 194.50 प्रति घनमी0 एवं दिनॉक 19.05.2016 से रु0 194.50 प्रति घनमी0 के स्थान पर रु0 154.00 प्रति घनमी0 कटौती दरें निर्धारित की गई थी।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई, कोटद्वार के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा 13 निर्माण कार्यों पर खनिज पदार्थों जैसेः–पत्थर, बालू एवं मिट्टी जो ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाए गये है, पर उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी संशोधित दरों के आधार पर नहीं की गई। परिणामस्वरुप रु0 20.77 लाख (**संलग्नक–1**) की रायल्टी की वसूली देयकों से नहीं की गई जबकि रायल्टी की वसूली ठेकेदार द्वारा प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी। रायल्टी की वसूली न किया जाना न केवल ठेकेदार को अदेय लाभ पहुॅचाना हुआ अपितु शासन को भी रु0 20.77 लाख के राजस्व से बंचित करना भी हुआ। आगे, लेखा परीक्षा जॉच में यह भी पाया गया कि रिंगालपानी से गूम मोटर मार्ग के 18वें देयक में रु0 1.00 लाख की कम रायल्टी कटौती की गई है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि अनुबन्ध गठित करते समय खनिज पदार्थों की जो रायल्टी की दरें स्वीकृत होती है उन्हीं दरों से रायल्टी की कटौती की गई है एवं कम कटौती के सम्बन्ध में बताया कि रु0 1.00 लाख की वसूली ठेकेदार के अनुरक्षण कार्य के देयक से कर ली जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रायल्टी की वसूली प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी। परिणामतः रायल्टी की वसूली न किए जाने/कम कटौती किए जाने से शासन को रु0 21.77 लाख के राजस्व से बंचित होना पडा।

अतः रायल्टी की वसूली न किए जाने के कारण रु0 20.77 लाख के राजस्व हानि का प्रकरण **उच्चाधिकारियों** के संज्ञान में लाया जाता है।

AIR No.118/2016-17

संलग्नक–1

क्र0 सं0	कार्य का नाम	माप पुस्तिका के अनुसार प्रयुक्त			निर्धारित दर	वसूल की गई धनराशि	वसूली जाने वाली धनराशि	कम वसूली गई राशी
		माप की तिथि	पत्थर / बालू / ग्रीट	प्रदत्त दर				
1.	Restoration work of Naugaun to Bukhandi M/R	28.03.2016	853.64	80.00	194.50	68291.00	166033.00	97742.00
			134.55	90.00	194.50	12110.00	26169.98	14060.00
			9.7	90.00	194.50	873.00	1886.65	1014.00
2.	Banjadevi Rikhanikhal Motor Under PMGSY Phase-X Stage-II work	26.11.2015	731.85	80.00	200.00	58548.00	146370.00	87822.00
			143.98	80.00	200.00	11518.00	28796.00	17278.00
			131.77	90.00	200.00	11859.00	26354.00	14495.00
3.	24m span steel girder bridge in km 7 of naudkhal-malkot motor road	27.06.2016	2795.97	80.00	154.00	223677.60	430579.40	206901.80
			494.73	90.00	154.00	44525.70	76188.42	31662.72
			114.88	80.00	154.00	9190.40	17691.52	8501.12
4.	construction of Naudkhal to malakot Motor Road Under PMGSY Stage-II Phase Xth	06.04.2016	475.83	80.00	194.50	38066.40	92548.94	54482.54
			94.50	90.00	194.50	8505.00	18380.25	9875.25
			918.00	80.00	194.50	73440.00	178551.00	105111.00
			36.72	80.00	194.50	2937.60	7142.04	4204.44
5.	Ringalpani to Goom Motor Road Under PMGSY Phase-X Stage II work 16th running Bill	08.11.2015	538.74	80.00	200.00	43099.20	107748.00	64648.80
			38.88	80.00	200.00	3110.40	7776.00	4665.60
			386.15	90.00	200.00	34753.50	77230.00	42476.50
			66.66	90.00	200.00	5999.40	13332.00	7332.60
6.	Ringalpani to Goom Motor Road Under PMGSY Phase-X Stage II work 18th running Bill	27.02.2016	321.36	80.00	200.00	25708.80	64272.00	38563.20
			2.79	80.00	200.00	223.20	558.00	334.80
			1144.9	90.00	200.00	103041.00	228980.00	125939.00
			87.88	90.00	200.00	7909.20	17576.00	9666.80
7.	Ringalpani to Goom Motor Road Under PMGSY Phase-X Stage II work 19th running Bill	22.03.2016	466.46	80.00	194.50	37316.80	90726.47	53409.67
			50.09	80.00	194.50	4007.20	9742.51	5735.31
			103.73	90.00	194.50	9335.70	20175.49	10839.79
8.	Ringalpani to Goom Motor Road Under PMGSY Phase-X Stage II work 20th running Bill	30.03.2016	488.00	80.00	194.50	39040.00	94916.00	55876.00
			123.08	80.00	194.50	9846.40	23939.06	14092.66
			172.88	90.00	194.50	15559.20	33625.16	18065.96
9.	Ringalpani to Goom Motor Road Under PMGSY Phase-X Stage II work 21th running Bill	31.03.2016	347.31	80.00	194.50	27784.80	67551.80	39767.00
			45.51	80.00	194.50	3640.80	8851.70	5210.90
			50.32	90.00	194.50	4528.80	9787.24	5258.44
10.	Rigalpani jaspur Road to Gweel gardkot Motor Road, Stage-I VIth Bill	18.11.2015	341.85	80.00	200.00	27348.00	68370.00	41022.00
			76.09	90.00	200.00	6848.00	15218.00	8370.00
			743.89	80.00	200.00	59511.00	148778.00	89267.00
11.	Rigalpani jaspur Road to Gweel gardkot Motor Road, Stage-I VIIIth Bill	28.02.2016	2089.51	80.00	194.50	167161.00	406409.70	239249.00
			236.08	90.00	194.50	21247.00	45917.56	24670.00
			81.96	80.00	194.50	6557.00	15941.22	9384.00
12.	Rigalpani jaspur Road to Gweel gardkot Motor Road, Stage-I IXth Bill	29.03.2016	1391.47	80.00	194.50	111318.00	270640.90	159323.00
			222.55	90.00	194.50	20030.00	43285.98	23256.00
			2433.16	80.00	194.50	194653.00	473249.60	278597.00
13.	Thimalsain Badiyar Motor Toad Under PMGSY, Stage-I& II with five year Maintenance VIIth Bill	26.03.2016	346.1	80.00	194.50	27688.00	67316.45	39628.45
			90.77	90.00	194.50	8169.30	17654.77	9485.47
Total:-								**2077284.82**

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–II 'ब' प्रस्तर संख्या
28/2011–12	1	1, 3 एवं 4
87/2012–13	1	1
88/2014–15	1 एवं 2	1 एवं 2
151/2015–16	1 एवं 2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
28/2011–12	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–4	– तदैव –	– तदैव –	
87/2012–13	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
88/2014–15	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'अ' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
151/2015–16	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'अ' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

1. कार्यालय में रोकड बही एवं अन्य अभिलेखों का उचित ढंग से रख–रखाव किया गया था।
2. आय–व्ययक एवं गार्ड फाईल का रख–रखाव उचित ढंग से किया गया था।
3. मोटर मार्गों के आगणन, प्राविधिक स्वीकृति, माप पुस्तिकाऐं एवं देयक उचित ढंग से एवं समय पर प्रस्तुत किए गये।

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0आई0यू0, पी0एम0 जी0एस0वाई0, कोटद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–**

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री अरुण कुमार नेगी	अधिशासी अभियंता	01.07.2015 से 16.08.2015
2.	श्री आर0सी0 गुप्ता	अधिशासी अभियंता	17.08.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

4. **विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्व रहे।**

   1. श्री जयपाल सिंह नेगी, दिनॉक 01.07.2015 से 31.10.2015 तक
   2. श्री अब्दुल रब, दिनांक 01.11.2015 से 19.02.2016 तक
   3. श्री आर0एस0 नेगी, दिनॉक 20.02.2016 से वर्तमान तक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)